



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2025 का कार्यवृत्त

समय:— 05:30 बजे अपराह्न

स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष

उपस्थिति:—

1. प्रो० संजय कुमार चौधरी, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	—	सदस्य
3. प्रो० अजय नाथ झा	—	सदस्य
4. प्रो० विजय कुमार यादव	—	सदस्य
5. प्रो० अशोक कुमार मेहता	—	सदस्य
6. प्रो० कृष्ण कान्त झा, प्रधानाचार्य	—	सदस्य
7. डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता, प्रधानाचार्य	—	सदस्य
8. प्रो० शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष	—	सदस्य
9. डॉ० नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष	—	सदस्य
10. डॉ० गोपाल जी ठाकुर	—	सदस्य
11. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	—	सदस्य
12. डॉ० फैयाज अहमद	—	सदस्य
13. डॉ० अमर कुमार	—	सदस्य
14. श्री सुजीत पासवान	—	सदस्य
15. डॉ० धनेश्वर प्रसाद सिंह	—	सदस्य
16. डॉ० अजय कुमार पंडित, कुलसचिव	—	सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय को कुलसचिव द्वारा गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। अभिषद् की ओर से डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि कुलपति महोदय के एक वर्ष के कार्यकाल में अनेको शैक्षणिक, शोध एवं विकास के कार्यों का संपादन होने से विश्वविद्यालय गौरवान्वित हुआ है। अतः अभिषद् द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाय। सर्वसम्मति से, कर्तल ध्वनि से सदस्यों द्वारा कुलपति-सह-अध्यक्ष महोदय के सम्मान में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। डॉ० बैद्यनाथ चौधरी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जो मिथिला क्षेत्र के लाखों छात्रों के शिक्षण का अवसर उपलब्ध कराती है, में अविलम्ब नामांकन पुनर्बहाली सुनिश्चित किये जाने पर विचार किया जाय। सदस्यों द्वारा इसका

संज्ञान लिया गया एवं आवश्यक पहल किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के साथ
राज्यीय सांसद डॉ० गोपाल जी ठाकुर एवं डॉ० फ़ैयाज अहमद को अधिकृत किया गया।
तत्पश्चात् अधिषद् की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जाय:-

- मद सं० 1. अधिषद् की गत बैठक दिनांक 17.01.2025 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय: सर्वसम्मति से, अधिषद् की बैठक दिनांक 17.01.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि किया गया।
- मद सं० 2. अधिषद् की गत बैठक दिनांक 17.01.2025 के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय: सर्वसम्मति से, अधिषद् की बैठक दिनांक 17.01.2025 के अनुपालन- प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।
- मद सं० 3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय: वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 के पारित सभी निर्णयों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। तथा बैठक के मद सं० 03 वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्ययक को अनुमोदित करते हुए आय-व्ययक को अधिषद् में अनुमोदनार्थ भेजे जाने से पूर्व सभी आवश्यक समीक्षा एवं संशोधन को किये जाने हेतु वित्त पदाधिकारी, वित्तीय परामर्शी एवं कुलसचिव को अधिकृत किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक को वित्तीय परामर्शी के द्वारा अधिषद् में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मद सं०-04: प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय: सर्वसम्मति से, प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.01.2025 के कार्यवृत्त को अधिषद् के अगली बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।
- मद सं० 05 विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय: विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2025 के कार्यवृत्त में पारित निर्णयों को सर्वसम्मति से, अनुमोदित किया गया। साथ ही मद सं०-09 में सम्बद्धन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 22.01.2025 में किये गये अनुशंसाओं एवं विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 22.01.2025 में अनुमोदित निर्णयों को अधिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिषद् की बैठक में अनुमोदनार्थ उपस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मद सं० 6. दिनांक 27.01.2025 को आहूत अधिषद् की बैठक के आयोजन पर विचार।
निर्णय: अधिषद् की बैठक महामहिम कुलाधिपति महोदय कार्यालय, पटना, के द्वारा स्वीकृत तिथि दिनांक 27.01.2025 को आयोजित किये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, स्वीकृति प्रदान किया गया। अधिषद् की बैठक की प्रारंभिक कार्यसूची एवं बैठक के आयोजन पर होने वाले व्यय को अनुमोदित करते हुए बैठक आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक निर्णय लिए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
- अन्यान्य मद सं०-01: डॉ० बैधनाथ चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अयाची मिथिला महाविद्यालय के अनुदान की राशि रिलीज किये जाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुकूल निष्पादन किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्यान्य मद सं0-02: डॉ बैधनाथ चौधरी एवं डॉ गोपाल जी ठाकुर के संयुक्त प्रस्ताव डॉ0 राम लोचन मिश्र, वाणिज्य विभाग, जे0 के0 कॉलेज, बिरौल दरभंगा की नियुक्ति के प्रसंग में मर्सीयस अपील पर विचार किया जाय।

निर्णय: मर्सीयस अपील पर विचार किया गया विचारोपरान्त, अधिषद् की बैठक के बाद आयोजित होने वाले अधिषद् की बैठक में सदन के समक्ष मूल संचिका उपस्थापित कर समीक्षोपरान्त निर्णय लिये जाने की सहमति बनी। साथ ही बैठक में डॉ0 श्याम चन्द्र गुप्ता वर्तमान अधिषद् सदस्य यदि सदस्य नहीं रहने पर भी एतद् संबंधित उक्त बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे।

अन्यान्य मद सं0-03: डॉ अमर कुमार के प्रस्ताव विश्वविद्यालय में अवकाश प्राप्त शिक्षक जिनकी आयु 62-65 किया गया था के बकाया के भुगतान एवं सभी प्रकार के न्यायादेश के प्रत्याशा में होने वाले भुगतान हेतु बजट में प्रावधान किये जाने पर विचार किया जाय।

निर्णय: सर्वसम्मति से शिक्षकों जिनकी आयु 62-65 किया गया था के बकाया के भुगतान को बजट में शामिल करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न न्यायादेश के प्रत्याशा में होने वाले भुगतान हेतु एकीकृत रूप में आकलित राशि का बजट में प्रावधान किये जाने की सहमति दी गयी।

अन्यान्य मद सं0-04: डॉ अमर कुमार, डा0 बैधनाथ चौधरी एवं श्री सुजीत कुमार पासवान के संयुक्त प्रस्ताव कि 11 दैनिक कर्मी जिनके किये गये कार्य के भुगतान लंबित है के भुगतान करने पर विचार किया जाय।

निर्णय: सर्वसम्मति से, 11 दैनिक कर्मी जिनके किये गये कार्य के भुगतान के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्वितीय अधिसूचना निर्गत तक किये गये कार्य के जितने राशि तय होगी उसका भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया। आगे इससे संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के निर्णय लिए जाने हेतु लिगल ओपिनियन प्राप्ति के उपरान्त अधिषद् के समक्ष विचारार्थ रखकर ही अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने की सहमति बनी।

अन्यान्य मद सं0-05: डॉ0 अमर कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ERP Automation for University Management System and Digital Transformation of University process through ERP के लिए बजट में प्रावधान किये जाने पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, **ERP Automation for University Management System and Digital Transformation of University process through ERP** के लिए बजट में छः करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं0-06: डॉ0 अमर कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2022 में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्र के आलोक में विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई सत्र 2023-25 से प्रारंभ किये जाने पर विचार।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जैसे महाविद्यालय जहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ किया जाना है से संबंधित पत्र राज्य सरकार को कुलसचिव स्मारित करे। साथ ही अंगीभूत महाविद्यालयों के लंबित निरीक्षण का कार्य महाविद्यालय निरीक्षकों को 30 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।

अन्यान्य मद सं0-07: डॉ0 अशोक कुमार मेहता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उन्नत सुविधायुक्त अधिषद् बैठक भवन (सीनेट मिटिंग हॉल) निर्माण कराये जाने पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय में उन्नत सुविधायुक्त अधिषद् बैठक भवन (सीनेट मिटिंग हॉल) निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं0-08: डॉ0 गोपाल जी ठाकुर ने शोध विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय के नामित किये जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए प्रस्ताव किया कि:-

1. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जो मिथिला क्षेत्र के लाखों गरीब, नौकरीपेशा लोग, महिला एवं दिव्यांग जनों को आसानी से शिक्षा प्रदान करने वाली इकाई है। वहीं मैथिली भाषा में अध्ययन का लाभ मिथिला के लोगों को मिल सके इस हेतु नामांकन प्रक्रिया अविलम्ब बहाल हो इसके लिए यूजीसी द्वारा जारी सामानान्तर मूल्यांकन योजना के तहत प्राप्त विभिन्न विनियमों में अधिकार पाये जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन इस दिशा में कार्य तेज करे जिससे संस्थान में नामांकन पुर्नबहाल हो सके।
2. डब्ल्यूआईटी के विकास का नया रोडमैप तैयार किया जाए जिससे आधुनिक शिक्षा का लाभ छात्रों को मिल सके।
3. नई शिक्षा निति 2020 के मापदण्ड के आधार पर ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय का नया रोडमैप तैयार किया जाए।
4. लॉ कॉलेज में नामांकन पुर्नबहाल किए जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया तेज करे।
5. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अन्तर्गत आने वाले सभी महिला कॉलेज एवं जनता कोशी कॉलेज, बिरौल में 4 वर्षीय बी.एड. इन्टीग्रेटेड कोर्स लागू किया जाय।
6. मनोकामना मन्दिर के पश्चिम खाली भूमि पर 2000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाय।
7. छात्र, शिक्षकों एवं शोधार्थियों के अध्ययन सुविधा के लिए राज पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन एवं अन्य पुस्तकालयों को आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया जाय और वर्ग कक्ष को स्मार्ट क्लास के रूप में जल्द से जल्द विकसित किया जाय।
8. खेलो इण्डिया के तहत विश्वविद्यालय परिसर में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाय।

निर्णय: अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त सभी आठ प्रस्तावों पर आवश्यक कार्य किए जाने का आश्वासन दिया गया।

(43)

नियम सं-09: सी0 एम0 विधि महाविद्यालय में पूर्व में अनुबंध पर नियुक्त चार कर्मियों के सेवा पर विचार।

निर्णय: सी0 एम0 विधि महाविद्यालय में पूर्व में अनुबंध पर नियुक्त चार कर्मियों के सेवा के संबंध में प्रस्तुत नियुक्ति संबंधित साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अवलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुबंध की सेवा अवधि की समाप्ति के उपरान्त नियमानुकूल कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं दिये जाने के कारण अनुबंध समाप्ति की तिथि से सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरान्त, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ० अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव -सह-सचिव

(प्रो० संजय कुमार चौधरी)
कुलपति -सह-अध्यक्ष

दिनांक:- 22-01-2025

ज्ञापांक:- UB-797/25
प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अभिषद के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

22/01/2025
कुलसचिव